न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 710—तीन/10 विरूद्ध आदेश दिनांक 18—3—10 पारित द्वारा आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल प्रकरण क्रमांक 06/निगरानी/2008—09

रामदास बानी पुत्र बैजनाथ बानी
निवासी ग्राम कनाडीखुर्द तहसील जयसिंह नगर
जिला शहडोल ——— आवेदक

विरूद्ध

1— श्रीमती सरोजबाई मिश्रा पत्नी रामचरन मिश्रा
निवासी ग्राम कनाडीखुर्द तहसील जयसिंहनगर
जिला शहडोल

2— रामकांत गौतम पुत्र सुशील गौतम
निवासी ग्राम पिपरिया तहसील मानपुर
जिला शहडोल ——— अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता, श्री एस. के. वाजपेई ।
अनावेदक क्र. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री आर. डी. शर्मा ।

: आदेश :

(आज दिनांक 08 07 2014 को पारित)

यह निगरानी कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल के प्रकरण क्रमांक 06/निगरानी/2008—09 में पारित आदेश दिनांक 18—3—10 के विरूद्ध म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा ग्राम जमुनारा की भूमि ख0न0 267/2 रकबा 4.42 एकड के नक्शासुधार हेतु तहसीलदार के न्यायालय में आवेदन पेश किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके में कब्जा अनुसार नक्शा तरमीम का प्रस्ताव दिनांक 30—12—07 को प्रस्तुत किया । अनावेदकों द्वारा उक्त तरमीम प्रस्ताव

पर दिनांक 3.1.08 को आपत्ति प्रस्तुत की गई । तहसीलदार ने आदेश दिनांक 13–5–08 द्वारा अनावेदकों की आपत्ति अमान्य कर नक्शा तरमीम को स्वीकृति प्रदान की । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने निगरानी अपर कलेक्टर, शहडोल के समक्ष पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 11–9–08 द्वारा निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जिसमें आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित करते हुए निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है । आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध है । राजस्व निरीक्षक ने स्थल निरीक्षण उपरांत मौके पंचनामा बनाकर अपनी प्रतिवेदन दिनांक 30–12–07 को प्रस्तुत किया था जिसे स्वीकार करने में विचारण न्यायालय ने कोई त्रुटि नही की है । विचारण न्यायालय का आदेश विस्तृत है, जिसे निरस्त करने में आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । प्रकरण में आवेदक की भूमि की जो स्थिति पुराने नक्शे में बताई गई थी उसी के अनुसार संशोधन किया गया है । अनावेदकों का आवेदक की भूमि से कोई संबंध नहीं है, उनकी भूमि के सर्वे नंबर भिन्न है । आवेदक के आधिपत्य के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन अभिलेख में उपलब्ध है अतः प्रकरण प्रत्यावर्तित किए जाने का कोई औचित्यच नहीं था । उक्त आधार पर उनके द्वारा आयुक्त के आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदक क्र. 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक का आवेदन बटांकन के लिए है । आवेदक के साथ जो नक्शा लगाया गया है वह अधूरा है । पूर्व में आवेदक की उपस्थिति में भूमि का सीमांकन हुआ था जो तहसील न्यायालय के अभिलेख मे पृष्ठ 17 पर संलग्न है, राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन भी पृष्ठ 19, 20 पर लगा है । तहसीलदार ने पूर्व मे हुए सीमांकन पर विचार न करते हुए आवेदक के आवेदन पर गलत सीमांकन एवं नक्शा तरमीम किया गया है । वे आवेदक के भूमि के सरहदी काश्तकार हैं, जिन्हें काई सूचना सीमांकन कार्यवाही की नहीं दी गई और ना ही उन्हें आपत्ति के उपरांत सुना गया । अतः आयुक्त ने जो प्रत्यावर्तन आदेश पारित किया

है वह उचित है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5– अनावेदक क्र. 2 प्रकरण में एकपक्षीय है ।

6– उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य आदेशों का अवलोकन किया । यह प्रकरण नक्शा तरमीम एवं सीमांकन की कार्यवाही से संबंधित है जो आवेदक द्वारा भूमि खसरा नं. 267/4 रकबा 4.42 एकड़ के नक्शा सुधार हेतु विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पूर्व में खसरा नं. 267/2 रकबा 1.340 हैक्टर एवं खसरा नं. 267/3 रकबा 3.40 हैक्टर का सीमांकन एवं नक्शा तरमीम की कार्यवाही हनुमान प्रसाद मिश्रा के आवेदन पर तहसील न्यायालय के प्र0क0 102/अ–12/03–04 मे पारित आदेश दिनांक 11–6–2004 द्वारा की गई थी । अनावेदकों द्वारा उक्त भूमियों को क्रय किया गया । उन्होंने यह भी पाया है कि अनावेदकों द्वारा उक्त आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने के उपरांत भी विचारण न्यायालय द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया किया । इस आधार पर उन्होंने यह पाया है कि पक्षकारों के मध्य खसरा नं. 267 के बटा नंबरों की भूमियों से संबंधित विवाद है जिसका एक साथ निराकरण किया जाना आवश्यक है और उन्होंने प्रकरण सभी हितबद्ध भूमिस्वामियों को सुनवाई का मौका देकर नक्शा तरमीम एवं सीमांकन की कार्यवाही करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है । आयुक्त के आदेश की पुष्टि अभिलेख से होती है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए आयुक्त का आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत होकर स्थिर रखे जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–3–2010 स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर